**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2589**

**19 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए**

 **पेट्रोल पम्पों और कोयला लदान कंपनियों का आवंटन**

**2589. श्री महेन्द्र सिंह माहराः**

 क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्या यह सच है कि पुनर्वास महानिदेशालय केवल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की सुरक्षा एजेंसियों तथा कोयला लदान एवं परिवहन कंपनियों को ही सूची में सम्मिलित कर रहा है और कंपनी के स्वामित्व वाले कंपनी चालित पेट्रोल पम्प/सीएनजी फिलिंग स्टेशनों का आवंटन केवल अधिकारियों को कर रहा है;
2. यदि हां, तो क्या यह जेसीओ/एनसीओ/ओआर के मौलिक अधिकारों तथा स्वाभाविक न्याय एवं समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है; और
3. क्या सरकार ने भेदभाव मिटाने तथा सभी रैंक के अधिकारियों के लिए उपरोक्त योजना को खोलने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की सोसाइटी की आवाज के विभिन्न अभ्यावेदनों पर कोई आदेश पारित किया है ?

**उत्‍तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) और (ख): पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) की पुनर्वास योजनाओं के ब्यौरे अनुबंध के रूप में संलग्न हैं ।

अधिकारियों और जेसीओ/ओआर की अर्हता, दक्षता और विभिन्न योजनाओं की आवश्यकता के लिए पुनर्वास के अवसर उपलब्ध हैं ।

(ग): उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता ।

**पेट्रोल पम्पों और कोयला लदान कंपनियों के आबंटन के बारे में राज्य सभा में दिनांक 19.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 2589 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

(क) **सुरक्षा एजेंसी योजना**- निम्नलिखित श्रेणी की डीजीआर पैनलबद्ध ईएसएम सुरक्षा एजेंसियां प्रायोजित किए जाने के लिए पात्र हैं:-

* निजी ईएसएम सुरक्षा एजेंसी- सभी भूतपूर्व सैनिकों (अधिकारियों) के लिए ।
* राज्य सरकार के स्वामित्व वाले भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) निगम ।

निजी ईएसएम सुरक्षा एजेंसी द्वारा कम से कम 90 प्रतिशत एवं राज्य सरकार के स्वामित्व वाले भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) निगमों द्वारा शतप्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा । इस प्रकार इस योजना में अधिकारियों और जेसीओ/ओआर दोनों के लिए स्व-रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं ।

(ख) **कोल लोडिंग और परिवहन योजना-**  इस योजना में निदेशकों (सेवानिवृत्त अधिकारियों) और टिप्पर मालिकों (सभी भूतपूर्व सैनिक, विधवाएं, आश्रित) की पात्रता शर्तों का उल्लेख किया गया है ।

(ग) **कंपनी की स्वयं की कंपनी द्वारा संचालित (सीओसीओ) रिटेल आउटलेट-** सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी और जेसीओ सीओसीओ रिटेल आउटलेट के आबंटन के लिए पात्र हैं ।

(घ) **सीएनजी स्टेशन योजना-** आईजीएल द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं के आधार पर, डीजीआर सेना, नौसेना और वायुसेना के ब्रिगेडियर/समकक्ष सेवानिवृत्त अधिकारियों के नामों को एनसीआर में इन सीएनजी पम्पों का प्रबंधन करने के लिए आईजीएल को प्रायोजित करता रहा है ।

 उपर्युक्त के अलावा, डीजीआर द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का भी संचालन किया जाता हैः-

1. **मदर डेयरी मिल्क बूथ और सफल फ्रेश फ्रूट वेज. शॉप-** ये योजनाएं केवल जेसीओ रैंक तक के लिए उपलब्ध हैं और ये सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए नहीं हैं ।
2. **सेना के अधिशेष वाहनों का आबंटन-** ईएसएम, विधवा और भूतपूर्व सैनिक को-ऑपरेटिव सोसाइटी सेना के अधिशेष वर्ग V-बी वाहनों के आबंटन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं ।
3. **नियमित एलपीजी वितरण का आबंटन-** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सरकारी कर्मचारी (जीपी) श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित नियमित एलपीजी एजेंसी के वितरण के आबंटन के लिए 8 प्रतिशत कोटा आरक्षित है । उक्त श्रेणी में अर्ध सैनिक बलों के कार्मिक/केंद्र सरकार/राज्य सरकार और केन्द्र/राज्य पीएसयू के कर्मचारी और रक्षा कार्मिक आते हैं । रक्षा कार्मिकों की पात्रता में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवा/आश्रित, युद्ध के कारण निःशक्त/संक्रियात्मक क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान हुए निःशक्त/सैन्य सेवा के कारण ड्यूटी करते समय शहीद हुए सैनिकों की विधवा/आश्रित, सैन्य सेवा के कारण ड्यूटी करते समय निःशक्त हुए भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं ।
4. **रिटेल आउटलेट डीलरशिप (पेट्रोल/डीजल)-** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में ‘सीसी1’ श्रेणी के अंतर्गत नियमित/ग्रामीण रिटेल आउटलेट डीलरशिप के वितरण के आबंटन के लिए 8 प्रतिशत कोटा आरक्षित है । उक्त श्रेणी में अर्ध सैनिक बलों के कार्मिक/केंद्र सरकार/राज्य सरकार और केन्द्र/राज्य पीएसयू के कर्मचारी और रक्षा कार्मिक आते हैं । रक्षा कार्मिकों की पात्रता में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवा/आश्रित, युद्ध के कारण निःशक्त/संक्रियात्मक क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान हुए निःशक्त/सैन्य सेवा के कारण ड्यूटी करते समय शहीद हुए सैनिकों की विधवा/आश्रित, सैन्य सेवा के कारण ड्यूटी करते समय निःशक्त हुए भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं ।

\*\*\*\*